ईद की नमाज़ का हुक्म

[हिन्दी – Hindi – هندي]

मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1434

IslamHouse.com

حكم صلاة العيد

« باللغة الهندية »

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1434

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

ईद की नमाज़ का हुक्म

आदरणीय शैख मुहम्मद बिन सालेह अल–उसैमीन रहिमहुल्लाह से ईद की नमाज़ के हुक्म के बारे में पूछा गया ?

तो आप ने इस प्रकार उत्तर दिया :

मेरा विचार है कि ईद की नमाज़ फर्ज़ ऐन है, और पुरूषों के लिए उसे छोड़ना जायज़ नहीं, बल्कि उनके ऊपर उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसका आदेश दिया है, बल्कि जवान लड़कियों और पर्दानशीन औरतों को ईद की नमाज़ के लिए निकलने का आदेश दिया है। बल्कि मासिक धर्म वाली औरतों को भी ईद की नमाज़ के लिए निकलने का हुक्म दिया है, किंतु वे नमाज़ पढ़ने की जगह से अलग रहेंगी। यह उसके आवश्यक होने को इंगित करता है। और यह कथन जिसके बारे में मैं ने यह कहा है कि वह राजेह है, इसे इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने चयन किया है। लेकिन जुमा की नमाज़ के समान यदि वह छूट जाए तो उसकी क़ज़ा नहीं की जाएगी क्योंकि इसकी क़ज़ा के अनिवार्य होने की कोई दलील नहीं है, और न ही वह उसके बदले कोई अन्य नमाज़ पढ़ेगा। क्योंकि अगर जुमा की नमाज़ छूट जाए तो

ज़रूरी है कि मनुष्य उसके बदले ज़ुहर की नमाज़ पढ़े, क्योंकि यह वक़्त ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त है। रही बात ईद की नमाज़ की तो यदि वह छूट जाए तो उसकी क़ज़ा नहीं की जाएगी। तथा अपने मुसलमान भाईयों को मेरी यह नसीहत है कि वे अल्लाह सर्वशक्तिमान से डरें, और इस नमाज़ की अदायगी करें जो भलाई और दुआ पर, लोगों के एक दूसरे को देखने –यानी भेंट मुलाक़ात करने–, और एक दूसरे से मुहब्बत करने पर आधारित है। अगर लोगों को किसी खेल–तमाशे के लिए आमंत्रित किया जाए, तो आप देखेंगे कि लोग उसकी तरफ भाग कर जाते हैं। तो फिर उस समय कैसे होना चाहिए जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें इस नमाज़ के लिए आमंत्रित किया है जिस पर उन्हें अल्लाह की तरफ से वह सवाब प्राप्त होगा जिसके वह अल्लाह के वादे के अनुसार हक़दार होंगे!? लेकिन औरतों पर अनिवार्य है कि जब वे इस नमाज़ के लिए निकलें तो पुरूषों की जगहों से दूर रहें, और वे नमाज़ की जगह में उस किनारे पर रहें जो पुरूषों से दूर हो। तथा वे बनाव सिंघार करके, सुगंध लगाकर या बेपर्दा होकर न निकलें। इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों को

उसके लिए निकलने का हुक्म दिया तो औरतों ने आप से सवाल करते हुए कहा : ऐ अल्लाह के पैगंबर! हम में से किसी के पास चादर नहीं होती है, तो आप ने फरमायाः ''उसकी बहन उसे अपनी चादर (जिलबाब) उढ़ा ले।'' जिलबाब, मुलाअह (औरतों के ओढ़ने की दोहरी चादर) या अबाया (चोगा) के समान होती है। (अर्थात ऐसी चादर या ओढ़नी जो पूर शरीर को ढांप ले)। इससे पता चलता है कि औरत के लिए चादर ओढ़कर निकलना ज़रूरी है, इसलिए कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस औरत के बारे में पूछा गया जिसके पास चादर नहीं होती है तो आप ने यह नहीं फरमाया कि वह जिस तरह हो सके निकले। बल्कि फरमाया : ''उसकी बहन उसे अपनी चादर उढ़ा ले।''

तथा इमाम अर्थात ईद की नमाज़ के इमाम के लिए उचित है कि वह जब लोगों को खुत्बा दे तो विशिष्ट रूप से औरतों को भी खुत्बा दे यदि वे पुरूषों के भाषण को न सुन रही हों। परंतु यदि वे पुरूषों के भाषण को सुन रही हों तो यह काफी है। लेकिन बेहतर यह है कि भाषण में औरतों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान –अहकाम– सम्मिलित हों, जिसमें उन्हें नसीहत व

सदुपदेश करे, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ईद की नमाज़ में पुरूषों को भाषण देते हुए किया था, आप ने औरतों के पास जाकर उन्हें वअज़ व नसीहत किया।